निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

24 आषाढ़ 1948 (श0)
(सं0 पटना 773) पटना, बुधवार, 15 जुलाई 2026

उच्च शिक्षा विभाग

अधिसूचना
6 जुलाई 2026

सं० 15/एम 1–93/2024–961——बिहार राज्यान्तर्गत नवादा जिले के निजी क्षेत्र में एस0ए0 विश्वविद्यालय, अशोक नगर, नवादा, बिहार की स्थापना हेतु एस0ए0 फाउंडेशन, श्री कृष्णापुरी, न्यू एरिया, नवादा (पो0 + थाना + जिला–नवादा, पिन–805110) से प्राप्त प्रस्ताव/परियोजना प्रतिवेदन की बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 4 के अधीन समीक्षोपरांत विभागीय पत्रांक 2157 दिनांक 15.05.2025 द्वारा राज्य सरकार के स्तर से विश्वविद्यालय स्थापना हेतु आशय पत्र निर्गत किया गया है। आशय पत्र में निहित शर्त्तों के अनुपालन की सम्यक् जाँचोपरांत बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2013 की धारा 6 के तहत एस0ए0 फाउंडेशन, श्री कृष्णापुरी, न्यू एरिया, नवादा (पो0 + थाना + जिला–नवादा, पिन–805110) को बिहार राज्यान्तर्गत नवादा जिले के निजी क्षेत्र में एस0ए0 विश्वविद्यालय, अशोक नगर, नवादा, बिहार के नाम से विश्वविद्यालय की स्थापना एवं इसके कार्य संचालन की अनुमति प्रदान की जाती है।

यह विश्वविद्यालय ''एस0ए0 विश्वविद्यालय, अशोक नगर, नवादा, बिहार'' के नाम से एक निगमित निकाय होगा और इसका शाश्वत उत्तराधिकार एवं सामान्य मुहर (सील) होगी। इसे चल और अचल दोनों प्रकार की सम्पति अर्जित करने तथा धारण करने और संविदा करने की शक्ति होगी तथा यह उक्त नाम से वाद ला सकेगा एवं इसपर वाद चलाया जा सकेगा।

यह विश्वविद्यालय पूर्णतः स्ववित्त पोषित होगा और राज्य सरकार से किसी तरह के अनुदान अथवा आर्थिक सहायता प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

यह विश्वविद्यालय बिहार निजी विश्वविद्यालय अधिनियम 2013 (यथा अद्यतन संशोधित) में वर्णित प्रावधानों का अनुपालन करते हुए संचालित होगा एवं इस संदर्भ में कोई विसंगति प्राप्त होने की स्थिति में विश्वविद्यालय के संचालन की अनुमति वापस ले ली जाएगी।

बिहार–राज्यपाल के आदेश से,
शिशिर कुमार मिश्र,
सरकार के उप सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 773-571+10-डी०टी०पी०।
Website: https://egazette.bihar.gov.in